

**निदेशकों की समितियों की सूची (17.04.2026 से प्रभावी)**

अनिवार्य समितियां	
<b>1. लेखा परीक्षा समिति</b>	
क) श्री मोहम्मद अफ़ज़ल, सरकार नामित निदेशक	अध्यक्ष
ख) निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य
ग) निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य
<i>निदेशक (वित्त) पदेन विशेष आमंत्रित व्यक्ति होंगे</i>	
<b>2. हितधारकों की संबंध समिति</b>	
क) श्री मोहम्मद अफ़ज़ल, सरकार नामित निदेशक	अध्यक्ष
ख) निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य
ग) निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य
घ) निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य
<b>3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और स्थिरता पर निदेशकों की समिति</b>	
क) निदेशक (कार्मिक)	पदेन सदस्य (अध्यक्ष)
ख) निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य
ग) निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य
घ) निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य
<b>4. रिस्क मैनेजमेंट समिति</b>	
क) निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य (अध्यक्ष)
ख) निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य
ग) निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य
गैर-अनिवार्य समितियां	
<b>5. आबंटन और पोस्ट आबंटन गतिविधियों पर निदेशकों की समिति</b>	
क) निदेशक (परियोजनाएं)	पदेन सदस्य (अध्यक्ष)
ख) निदेशक (तकनीकी)	पदेन सदस्य
ग) निदेशक (वित्त)	पदेन सदस्य
<b>6. बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुबंधों में विचलन/परिवर्तनों के अनुमोदन के लिए बोर्ड की Technical समिति</b>	
क) निदेशक (वित्त)	स्थायी सदस्य
ख) संबंधित कार्यात्मक निदेशक	सदस्य
ग) एक निदेशक, जिसे समय-समय पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य

**नोट:** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा निदेशकों की समिति- (अपीलीय प्राधिकारी) को आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर पुनर्गठित किया जाएगा।